

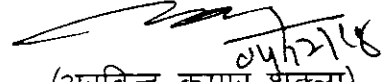
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6295/
II-14-67/59 VI

जबलपुर, दिनांक 05/12/2018

श्री सुनील कुमार शर्मा, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/प्रशिक्षण, दिनांक 12.11.59, ज्ञापन क्रमांक 727-397-चार-नि-6, दिनांक 16-05-1961 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 8000/1910/नि-3/चार/91 भोपाल, दिनांक 11.07.1991 में निहित निर्देशों के अनुसार लेखा प्रशिक्षण परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित कर उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप एक अग्रिम वेतन वृद्धि परीक्षा समाप्त होने के दिनांक 09-09-2018 के अगले दिन अर्थात् दिनांक 10-09-2018 से स्वीकृत की जाती है।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

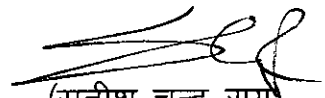
पृष्ठांकन क्रमांक B/6296/
II-14-67/59 VI

जबलपुर, दिनांक 05/12/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर की ओर इस अनुरोध के साथ कि श्री सुनील कुमार शर्मा, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर द्वारा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की टीप तथा परीक्षा परिणाम दिनांक 16-10-2018 की एक प्रति उनकी सेवा पुस्तिका में भी संलग्न किये जाने हेतु,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनु.अधि. स्थापना, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. श्री सुनील कुमार शर्मा, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
Rarc